भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

सरकारी विभागों में निष्पक्ष और स्थायी रोजगार

†88. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी विभागों में निष्पक्ष और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने तथा अस्थायी व्यवस्था और 'आउटसोर्स' व्यवस्था को हटाने के लिए जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): सरकारी पदों को भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है। तथापि, कार्य की प्रशासनिक तात्कालिकता, किफायती परिचालन और अपरिहार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठेके के माध्यम से आउटसोर्सिंग का भी कभी-कभी सहारा लिया जाता है।

"सामान्य वित्तीय नियम 2017**" (**जीएफआर 2017), और "गैर-परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मैनुअल, 2025" में ई-अधिप्रापण सहित ऐसी गैर-परामर्शी या आउटसोर्स सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। किसी भी विचलन या उल्लंघन का निपटान संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा समुचित रूप से किया जा सकता है।

****